तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाहीमदेइनिशियल्स
	पत्रावली ... मीरुमा बनाम रहा दावा 69/14
-1/11/19	वकील वादी अनुपस्थित। दावा वादी खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सपोटरा जिला करौली

पीठासीन अधिकारी– श्रीमती तारामती वैष्णव आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी सपोटरा

मु0नं0	किस्म	ता0दायरा	तारीख निर्णय
69 / 14	दावा	24.09.14	21.01.19

रामकवार पुत्र भीमा आयु 50 साल जाति बैरवा निवासी बाढ सलेमपुर तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।

–वादी

बनाम

1. लक्ष्मीनारायण पुत्र रामदेव सभी जाति बैरवा निवासी बाढ सलेमपुर तह0 सपोटरा
2. हटीला पुत्र मोहन जिला करौली राजस्थान
3. किशोरी पुत्र मोहन
4. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।

–प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53,88,188 आर.टी.एक्ट

उपस्थितः– श्री शेरसिह वकील वादी।

संक्षेप में वाद तथ्य वादी इस प्रकार से है कि वादी ने एक वाद विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया है कि आराजी खसरा नं0 1214 रकबा 1 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नं0 1323 रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नं0 1330 रकबा 01 बीघा, खसरा नं0 1332 रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 04 बीघा 09 बिस्वा वाके ग्राम बाढ सलेमपुर तहसील सपोटरा वादी एवं प्रतिवादीगण की सहखातेदारी की आराजीयात है। उक्त आराजीयात पुश्तैनी है। वादी के बाबा बक्शी के तीन संतान हुई रामदेव, मोहन, भीमा। भीमा का वादी है। रामदेव के दो संतान हुई मीठ्या, हरकेश। मोहन के दो संतान प्रतिवादी सं0 2 व 3 है। हरकेश पूर्व मे ही नाऔलाद फोत है जबकि मीठ्या 05 वर्ष पूर्व से लापता है जिसका अतापता नही है। मीठ्या प्रतिवादी सं0 1 के हिस्से की आराजी को मुझ वादी को संभलाकर गया है। इसलिए प्रतिवादी सं0 1 मीठ्या के हिस्से की आराजी का वादी घोषणा खातेदारी कराने का अधिकारी है। प्रतिवादी सं0 1 मीठ्या अविवाहित है उसके कोई संतान नही है। दिनांक 16.9.14 को प्रतिवादी सं0 2 व 3 से वादी ने बाहमी बंटवारा अनुसार बंटवारा कराने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण साफ इंकार हो गये और कहा कि हम किसी प्रकार का कोई बंटवारा नही करेगें ना ही बंटवारा होने देगें। इसलिए वादी ने वाद पत्र पेश कर विवादित आराजीयात का कब्जा अनुसार बंटवारा कराया जाकर, प्रतिवादी सं0 1 की हिस्से की जमीन पर मौके पर कब्जा अनुसार घोषणा खातेदारी कराये जाने एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने का निवेदन किया है।

दावा वादी दर्ज कर तलबी प्रतिवादीगण जरिये सम्मन की गई। प्रतिवादी सं0 1 लगायत 3 बावजूद सम्मन तामील उपस्थित न्यायालय नही आये इसलिए इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रतिवादी सं0 4 ने वाद पत्र मे राज्यहित प्रभावित नही होने के कारण कोई जवाब दावा पेश नही किया इसलिए कोई तनकीयात कायम नही की गई है।

वकील वादी ने साक्ष्य मे वादी रामकवार का शपथ पत्र पेश किया तथा दस्तावेजी साक्ष्य मे जमाबंदी ग्राम बाढ सलेमपुर तहसील सपोटरा सम्बत् 2069–72 पेश की है।

विद्वान अभिभाषक वादी की एकतरफा बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। जमाबंदी ग्राम गज्जूपुरा सम्बत् 2069–72 के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 3 विवादित आराजीयात के रिकार्डेड सहखातेदार दर्ज रिकार्ड है किन्तु सहखातेदार हरकेश पिता रामदेव का नाम उक्त जमाबंदी मे दर्ज है जिसे वाद पत्र मे पक्षकार नही बनाया गया है, वादी ने अपने वाद तथ्यों मे जिसे पूर्व मे ही ना ओलाद फोत होना दर्ज

(तारामती वैष्णव)
उपखण्ड अधिकारी
सपोटरा, जिला–करौली

Scanned by CamScanner

किया है जिसके सम्बन्ध मे कोई दस्तावेज मृत्यु प्रमाण पत्र इत्यादि प्रस्तुत नही किये है। इस हेतु पक्षकारान को हरकेश के वैध वारिशान की जांच करवाकर तहसीलदार के यहां विरासत का नामान्तरकरण खुलवाना चाहिए था। प्रतिवादी सं0 1 मीठ्या को भी वादी ने पांच वर्ष पूर्व से लापता बताया है जिसका कोई अता पता नही है, इस हेतु वादी को सिविल न्यायालय से मीठ्या के वैध वारिशान घोषित करवाने चाहिए थें जिसके सम्बन्ध मे कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किये है। इस प्रकार मीठ्या के हिस्से की आराजी की घोषणा खातेदारी प्राप्त करने के लिए वादी ने पर्याप्त साक्ष्य सबूत पेश नही किये है इसलिए घोषणा खातेदारी पाने का वादी हकदार नही है। इसलिए वादी का वाद पत्र खारिज किये जाने योग्य हैं।

अतः दावा वादी खारिज किया जाता हैं। निर्णय आज दिनांक 21.01.2019 को सरे इजलास सुनाया गया। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(तारामती वैष्णव आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी
सपोटरा जिला करौली

Scanned by CamScanner